**UPSB040035792024**

**न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र**

**उपस्थित–अचल प्रताप सिंह,उ0प्र0न्यायिक सेवा–UP01966**

**मुकदमा नंबरा–2788 / 2024**

**(पुराना मुकदमा नं0–110 / 2015)**

राज्य .....अभियोजन

बनाम

सफीउल्लाह पुत्र इस्लाम, निवासी–हेवती, थाना–पन्नूगंज,जनपद–सोनभद्र

.....अभियुक्त

अपराध सं0–475 / 2014
धारा–3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955
थाना–राबर्टसगंज, जनपद–सोनभद्र।

राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक अधिकारीः–

**श्री वी.पी. सिंह, श्री राजकुमार व श्री अखिलेश मिश्र**

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ताः–

**श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री शोभित श्रीवास्तव व श्री मु0 असलम सिद्दीकी**

| | |
|---|---|
| घटना की तिथि | 27.05.2014 |
| एफ.आई.आर. पंजीकृत किये जाने की तिथि | 02.06.2014 |
| न्यायालय द्वारा संज्ञान की तिथि | 16.02.2015 |
| अभियोगित अपराध की धारा | 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 |
| अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने की तिथि | 25.05.2023 |
| अभियुक्त का बयान अं0धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किये जाने की तिथि | 01.11.2023 |
| निर्णय की तिथि | 14.03.2024 |
| विचारण का परिणाम | दोषमुक्त |

## निर्णय

1– प्रस्तुत आपराधिक वाद अभियुक्त सफीउल्लाह के विरूद्ध थाना पुलिस राबर्टसगंज, द्वारा अपराध सं.–475 / 2014, धारा–3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित आरोप पत्र पर लिये गये संज्ञान पर आधारित है।

**अभियोजन कथानक एवं संक्षिप्त विवरणः–**

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार से है कि वादी मुकदमा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, राबर्टसगंज, सोनभद्र द्वारा थाना–राबर्टसगंज, जनपद–सोनभद्र में प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 27.05.2014 को अपरान्ह् में इस आशय की शिकायत प्राप्त होने पर की एक ट्रैक्टर पर

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लदा खाद्यान्न चोर बाजारी में बेचने हेतु वाराणसी शक्तिनगर मार्ग से ले जाया जा रहा है, को संज्ञान में लेते हुए उपजिलाधिकारी राबर्टसगंज द्वारा प्र0पूर्ति निरीक्षक चोपन श्री अंशुमाली शंकर को मौके पर जाकर प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। प्र0 पूर्ति निरीक्षक को दिनांक 27.05.2014 को अपरान्ह 8.30 बजे तेन्दु पुल/ नहर से आगे पेट्रोल पम्प के बाद लगभग 500 मीटर आगे एक ट्रैक्टर सं0–यूपी 64जे/ 9756 खड़ा पाया गया। चालक से पूछताछ करने पर चालक द्वारा अपना नाम राजेश बताया गया तथा यह भी बताया गया कि ट्रैक्टर पर उचित दर विक्रेता, ग्राम पंचायत कवरी श्री सफीउल्लाह का सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 41 बोरी चावल, 21 बोरी गेंहू व 5 बोरा चीनी लदा है, जिसे श्री सफीउल्लाह के कहने पर इस रास्ते से ले जा रहा था। संदेहास्पद होने के कारण उपजिलाधिकारी राबर्टसगंज के निर्देश पर प्र0पूर्ति निरीक्षक द्वारा उक्त ट्रैक्टर को मय माल अपने कब्जे में लेकर थाना कोतवाली, राबर्टसगंज की अभिरक्षा में ले जाकर खड़ा करा दिया गया। पुनः उपजिलाधिकारी राबर्टसगंज द्वारा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं नायब तहसीलदार राबर्टसगंज से प्रकरण की संयुक्त रूप से जॉच करायी गयी। जाचोपरान्त उन लोगों द्वारा प्रस्तुत संयुक्त जॉच आख्या दिनांकित 30.05.2014 का उपजिलाधिकारी राबर्ट्सगंज द्वारा अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। जॉच अधिकारी द्वय द्वारा दिनांक 29.05.2014 को ग्राम पंचायत कवरी में मौके पर जाकर शिकायतकर्ता श्री मनोज कुमार देव पाण्डेय, निवासी–कवरी की एवं उनकी उपस्थिति में कार्ड धारकों का बयान लिया गया जिसमें वी.पी.एल/ अन्त्योदय के सभी कार्डधारकों ने बयान दिया है कि उन्हें वी.पी.एल. कार्ड पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल ) रू0 220/– में एवं अन्त्योदय कार्ड पर 35 क्रिलोग्राम खाद्यान्न रू0 100/– में तथा तीन लीटर मिट्टी तेल एवं एक किलोगग्राम नमक रू0 65/– में तथा चीनी रू0 17/– प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता है एवं कभी–कभी फुटकर न होने की स्थिति में रू0 20/– में चीनी की मात्रा कुछ बढ़ाकर देते हैं। ए.पी.एल. कार्डधारको द्वारा अपने बयान में कहा गया है कि विक्रेता द्वारा खाद्यान्न का वितरण नियमित रूप से नहीं किया जाता हैं। श्री कमलेश निवासी ग्राम पंचायत कवरी द्वारा अपने बयान में कहा गया है कि उनका तथा उनके भाई सुरेन्द्र का नाम निर्धनतम सूची में है लेकिन खाद्यान्न नहीं मिला है। जॉच अधिकारियों द्वारा उक्त उचित दर विक्रेता की दुकान में उपलब्ध खाद्यान्न आदि के स्टाक का भौतिक सत्यापन भी किया गया। दुकान में कुल 194 बोरी खाद्यान्न एवं चीनी उपलब्ध था, जिसमें 81 बोरी गेहूं, 112बोरी चावल तथा 40 किलोग्राम चीनी पाया गया। उचित दर विक्रेता द्वारा अपने बयान में बताया गया है कि शेष स्टाक पकड़े गये ट्रैक्टर पर है। उचित दर विक्रेता द्वारा दिनांक 27.05.2014 को मार्केटिंग गोदाम से उठाये गये खाद्यान्न का विवरण निम्नवत् है–वी.पी.एल गेहूँ 18.90कु0 चावल 25.20 कुं0, अन्त्योदय 04.80कु0 गेहूं, 12.00 कु0 चावल, अति बी.पी.एल. 22.95 कु0 गेंहू व 30.60 चावल व चीनी 5.40कु0। जॉच अधिकारियों को क्षेत्रीय विपणन अधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 27.05.2014 को संबंधित उचित दर विक्रेता द्वारा कुल 92 बोरी गेहूं तथा 135 बोरी चावल का उठान किया गया है। उचित दर पर विक्रेता ने यह भी अवगत कराया है कि माह अप्रैल 2014 का 4.80कु0 गेहूं(10 बोरी) तथा 9.25 कु0 चावल(लगभग 18 बोरी) एमडीएम का ग्राम प्रधान नहीं ले गये हैं, जो दुकान में बैलेन्स है।उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि उचित दर विक्रेता द्वारा खाद्यान्न, चीनी एवं मिट्टी तेल का निर्धारित दर से अधिक मूल्य लिया गया है तथा ए.पी.एल. कार्ड धारको को खाद्यान्न का वितरण नियमित रूप से नहीं किया गया है साथ ही विक्रेता द्वारा निर्धनतम परिवारों को खाद्यान्न को वितरण में भी अनियमितता बरती गयी है। जहां तक ट्रैक्टर सं0–यूपी 64 जे/ 9756 पर लदे 21 बोरी गेहूं, 41 बोरी चावल एवं 5 बोरा चीनी को चोर बाजारी में बेचने हेतु उचित दर विक्रेता द्वारा ले जाये जाने संबंधी शिकायत का प्रश्न है, में जॉच अधिकारी द्वय द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या में यह व्यक्त किया गया है कि खाद्यान्न से लदा उक्त ट्रैक्टर, जिसे शिकायतकर्ता द्वारा तेन्दू नहर के उस पार पेट्रोल पम्प के आगे रोका गया था, ग्राम पंचायत कबरी जाने का रास्ता नहीं है, अपितु बेलखुरी मोड़ से होकर

ग्राम पंचायत कबरी जाने का रास्ता है। इस प्रकार उचित दर विक्रेता का उक्त ट्रैक्टर पर लदा खाद्यान्न तेन्दु पुल से आगे के पेट्रोल पम्प के आगे पकड़ा जाना अपने आप में संदेहास्पद है तथा अन्तर्निहित तथ्य यह है कि उक्त ट्रैक्टर पर लदा खाद्यान्न एवं चीनी उचित दर विक्रेता द्वारा अनुचित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से चोर बाजारी में बेचे जाने के लिये ही ले जाया जा रहा था। विक्रेता का उपरोक्त कृत्य उ0प्र0 अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश 2004 में निहित प्राविधानों एवं इसी नियंत्रण आदेश के अंतर्गत प्रतिपादित अनुबंध पत्र की विभिन्न शर्तों का स्पष्ट उल्लघंन होने के साथ–साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–3/ 7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है जिसके लिए श्री सफीउल्लाह उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत कबरी विकास खण्ड राबर्टसगंज के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–3/ 7 के अंतर्गत अभियोग चलाया जाना आवश्यक है। अतः विक्रेता उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–3/ 7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करें। जिलाधिकारी का अनुमति आदेश दिनांक 31.05.2014 मूलरूप से संलग्न है। वादी मुकदमा की टाइप शुदा तहरीर परथाना–राबर्टसगंज, जनपद–सोनभद्र द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–475/ 2014, अं0धारा–3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में दर्ज की गयी। दौरान विवेचना विवेचक ने गवाहों का बयान लिया, घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया तथा विवेचना की समस्त औपचारिकताएँ पूरी कर अभियुक्त सफीउल्लाह उपरोक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र अं.धारा–3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का न्यायालय में प्रेषित किया गया।

3– अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया और अपनी जमानत कराया।

4– अभियुक्त को धारा–207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियॉ दी गयीं।

5– न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 25.05.2023 को आरोप अंतर्गत धारा–3/ 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 का विरचित किया गया अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया एवं विचारण की मांग की।

6– **अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया हैः–**

| | | |
|---|---|---|
| पी.डब्लू.–1 | सत्येन्द्र कुमार राय | मुकदमा वादी |
| पी.डब्लू.–2 | अंशुमाली शंकर | साक्षी |
| पी.डब्लू.–3 | मनोज देव पाण्डेय | साक्षी |
| पी.डब्लू.–4 | जगदम्बा प्रसाद द्विवेदी | साक्षी |

**अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्रों को साबित कराया गया हैः–**

7– अभियोजन द्वारा अभियोजन प्रपत्र टाइप शुदा तहरीर प्रदर्श क–1, उपजिलाधिकारी,राबर्टसगंज,सोनभद्र आख्या की छायाप्रति प्रदर्श क–2, फर्द नक्शा नजरी प्रदर्श क–3 व आरोप पत्र प्रदर्श क–4 को साबित किया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल रपट, बरामदगी आदेश, जिलाधिकारी सोनभद्र की प्रस्तुत आख्या एवं अनुमोदन दाखिल की गयी है।

8– अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर अभियुक्त का **बयान अं.धारा–313 दं.प्र.सं. अंकित किया गया।** अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा साक्षी सं0–1 ता 4 के बयान के संदर्भ में कथन किया कि झूठा बयान दिया तथा मुकदमा रंजिशन चलना कहा तथा सफाई साक्ष्य देना कहा एवं अपने अतिरिक्त कथन में कहा है कि मनोज पाण्डेय उससे एक बोरी नाजायज चीनी की मांग करता था जिसे न देने पर उसके खिलाफ फर्जी एवं गलत मुकदमा दर्ज कराया। उसने कोई गल्ला नहीं बेचा है, निर्दोष है।

9– अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य में साक्षी इसराइल बेग, संजय देव पाण्डेय व शहीद को परीक्षित कराया गया।

10— विद्वान अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को सविस्तार सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

11. अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये अभियोग को साबित करने हेतु तथ्य के कुल 4 साक्षियों को परीक्षित कराया गया है।

12— अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.—1 सत्येन्द्र कुमार राय ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 27.5.2014 को एस.डी.एम. राबर्टसगंज के निर्देश पर तत्कालीन प्रभारी पूर्ति निरीक्षक चोपन श्री अंशु माली शंकर घटना स्थल पर पहुंचे। मौके पर एक ट्रैक्टर ट्राली पर 21 बोरी गेहू, 41 बोरी चावल तथा 5 बोरा चीनी लदी हुई थी। जो तेन्दू पुल से वाराणसी वाले रास्ते पर पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे खड़ा था। उक्त ट्रैक्टर श्री मनोज देव पाण्डेय द्वारा रोका गया था। उक्त ट्रैक्टर चालक श्री राजेश द्वारा यह बताया गया कि इस पर ग्राम पंचायत कबरी के उचित दर विक्रेता का खाद्यान्न व चीनी लदा है। कबरी जाने का रास्ता दूसरी तरफ से है जिस रास्ते पर ट्रैक्टर खड़ा था वह रास्ता कबरी की तरफ नहीं जाता। मामला संदेहास्पद होने पर ट्रैक्टर राबर्टसगंज थाने पर ले जाया गया। एस. डी.एम. के निर्देश पर नायब तहसीलदार और उसके द्वारा दिनांक 29.5.2014 को ग्राम पंचायत कबरी में जाकर जांच की गयी। जांच के दौरान कुल 63 कार्ड धारकों के बयान अभिलिखित किये गये। कार्ड धाराकों/उनके परिवार के सदस्यों ने अपने बयान में बताया कि उन्हें बी.पी.एल. कार्ड पर मु0—220/—रू0, अन्त्योदय कार्ड पर खाद्यान्न मु0—100/—रू0 में दिया जाता है। चीनी 17—20 रूपये प्रति किलो दी जाती है। उक्त आख्या एस.डी.एम. राबर्टसगंज को प्रस्तुत की गयी। एस.डी.एम. द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराये जाने हेतु पत्रावली जिलाधिकारी, सोनभद्र महोदय के यहां प्रेषित की गयी। जिलाधिकारी के अनुमोदनोंपरांत दिनांक 1.6.2014 को थाना राबर्टसगंज,सोनभद्र में एफ.आई.आर. दर्ज कराये जाने हेतु तहरीर दी गयी। उचित दर विक्रेता का उक्त कृत अनियमितता की श्रेणी में आता है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा—3/ 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। जांच के दौरान मौके पर स्टाक का भौतिक सत्यापन उचित दर विक्रेता सफी उल्लाह की दुकान पर उपलब्ध किया गया था। मौके पर 81 बोरी गेहूँ, 112 बोरी चावल तथा 40 किलो चीनी पायी गयी थी। उचित दर विक्रेता द्वारा यह भी बताया गया कि इसमें मिड डे मिल का स्टाक भी सम्मिलित है। पत्रावली में संलग्न का0सं0—4अ/ 4 को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है जो उसके द्वारा तैयार किया गया है जिसे थाने में दिया था। वह तहरीर पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान करता है। जिस पर प्रदर्श क—1 डाला गया। विवेचक ने दौरान विवेचना उसका बयान लिया था। पत्रावली में संलग्न का0सं0—5अ/ 6 लगायत 5अ/ 7 जांच आख्या जो नायब तहसीलदार विजयगढ़ द्वारा तैयार किया गया है। अपने हस्ताक्षर की पहचान करता है जिस पर प्रदर्श क—2 डाला गया। संलग्न पत्रावली का0सं05अ/ 19 लगायत 5अ/ 20 स्टाक रजिस्टर की छायाप्रति जो प्रमाणित है जिसे वह तस्दीक करते हैं।

13— उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि वह आज अपने साथ स्टाक रजिस्टर की मूल नहीं लाया है। उसे उक्त घटना के बाबत कोई शिकायत प्रा0पत्र नहीं मिला था। वह मौके पर घटनास्थल पर नहीं गया था। गाड़ी थाने पर आने के बाद एस.डी.एम. राबर्टसगंज के निर्देश पर वह नायब तहसीलदार के साथ गठित टीम के साथ ग्राम पंचायत कबरी गया था और वहां लोगों का बयान लिया था। गवाहों/ कार्ड धारकों द्वारा दिये गये बयान को उसने अभिलिखित किया था। उसे कार्ड धारकों द्वारा बयान में यह बताया गया था कि वितरण होता है किन्तु गवाहों द्वारा बताया गया कि अधिक मूल्य पर वितरण किया जाता है। सफीउल्ला के उपर खाद्यान्न कालाबाजारी को लेकर पूर्व में कोई शिकायत नहीं थी। उसे यह याद नहीं है कि वितरण को लेकर पूर्व में शिकायत थी कि नहीं। उसने दिनांक 30.5.2014 को गवाहों का बयान ले लिया था किन्तु दो दिन पश्चात एफ.आई.आर. जिलाधिकारी महोदय के अनुमति से दर्ज करायी गयी थी। कबरी ग्राम पंचायत जाने का रास्ता तेन्दू पुल से नहर से भी जाता है। उसने न्यायालय के समक्ष दिये गये मुख्य बयान में यह तथ्य अंकित नहीं किया है कि

सफीउल्ला के द्वारा खाद्यान्नों की किसी प्रकार से काला बाजारी की गयी है। उसे घटना के बाबत मनोज देव पाण्डेय के द्वारा कोई जानकारी नहीं प्राप्त की। बल्कि एस.डी.एम. राबर्टसगंज के द्वारा हुई थी। यदि दरोगा ने 161 दं0प्र0सं0 के बयान में यह बात लिखी है कि दिनांक 27.5.2014 को शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 27.5.2014 को मौके पर ट्रैक्टर पर कितना बोरी खाद्यान्न लादा गया था यह वह नहीं जानता। वह दरोगा जी के साथ घटना पर गया था और निरीक्षण किया था। का0सं0–5अ/ 6 लगायत 5अ/ 7 जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया है। वह मूल प्रति नहीं है वह छायाप्रति है। कबरी वाला मार्ग ग्राम कूसी से होकर जाता है वह पेट्रोल पम्प से आगे पड़ता है। पेट्रोल पम्प से कूसी जाने वाला मार्ग लगभग 100मीटर की दूरी पर है। घटना स्थल पर वह विवेचक के साथ गया था। घटनास्थल के अगल–बगल काफी दुकाने व घर थे। दरोगा जी ने 3–4 लोगों से पूछताछ किया था किससे पूछताछ किया था याद नहीं है।

14– अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–2 अंशुमाली शंकर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 27.5.2014 समय रात 8.30 बजे एस.डी.एम. सदर द्वारा दूरभाष से दिये गये निर्देश पर उसे एक शिकायत प्राप्त हुई कि एक ट्रैक्टर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न काला बाजारी हेतु वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग पर ले जाया जा रहा है। उसके द्वारा ट्रैक्टर को तेन्दू पुल पेट्रोल पंप से लगभग 500मीटर उत्तर दिशा में मधुपुर साइड पकड़ी गयी। ट्रैक्टर नं0–यूपी64 जे/ 9756 खड़ी थी जिसमें कि 41 बोरी चावल, 21 बोरी गेहूं एवं 5 बोरा चीनी लदा था। ट्रैक्टर चालक राजेश द्वारा पूछने पर यह बताया गया कि उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत कबरी श्री सफीउल्लाह के कहने पर खाद्यान्न लदा इस ट्रैक्टर को लेकर इस मार्ग से जा रहा था। शिकायतकर्ता श्री मनोज पाण्डेय के द्वारा इस ट्रैक्टर को पकड़कर रोका गया था। मनोज पाण्डेय द्वारा बार–बार बोला जा रहा था कि यह काला बाजारी हेतु ले जाया जा रहा है। एस.डी.एम. सदर द्वारा दूरभाष पर दिये गये निर्देश एवं ग्राम कबरी जाने हेतु निर्धारित मार्ग से इतर होने के संदेह दृष्टिगत ट्रैक्टर को मय माल/ खाद्यान्न अपने कब्जे में लेकर सदर कोतवाली राबर्टसगंज में सुपुर्द कर दिया गया। इस मामले में आगे की कार्यवाही तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जांच की गयी। विक्रेता द्वारा यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–3/ 7 का उल्लंघन किया गया। विवेचक ने दौरान विवेचना उसका बयान लिया था।

15– उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि उसे शिकायत की सूचना एस.डी.एम. सदर द्वारा फोन पर बतायी गयी थी। उसे कोई शिकायत किसी शिकायतकर्ता द्वारा प्राप्त नहीं हुई। उसे व्यक्तिगत रूप से राबर्टसगंज से कबरी जाने का केवल एक ही रास्ता पता था जो राबर्टसगंज से पन्नूगंज के मार्ग से जाता था। उसे कबरी जाने का रास्ता जो हिन्दुवारी से होकर जाता है उसकी जानकारी नहीं थी। वह घटनास्थल पर पहुंचा था। उसकी ड्यूटी जांच करने की नहीं थी। इसलिए उसने यह पता नहीं किया कि कबरी जाने का रास्ता हिन्दुआरी से होकर जाता है कि नहीं। घटना स्थल पर केवल दो लोग खड़े थे जिसमें एक शिकायतकर्ता व एक ट्रैक्टर था चालक था। ट्रैक्टर चालक से भी उसने पूछताछ किया था। पूछताछ के क्रम में ट्रैक्टर चालक ने उसे यह बताया कि कोटेदार के निर्देश पर वह ट्रैक्टर लेकर इस रास्ते से जा रहा है। उसके अनुसार हिन्दुआरी से होकर जो रास्ता जाता है वह कबरी नहीं जाता है। उसके पश्चात् वह ट्रैक्टर लेकर थाने आया। प्रश्न–आपको इस बात की जानकारी थी कि कबरी जाने का निर्धारित मार्ग कौन है? उत्तर–उसकी जानकारी अनुसार राबर्टसगंज से लादने के बाद खाद्यान्न पन्नूगंज के रास्ते से कबरी जाती थी। प्रश्न–क्या राबर्टसगंज से कबरी जाने वाला मार्ग पन्नूगंज मार्ग से होकर ही जायेगा। यह एस.डी.एम द्वारा या डी.एम. द्वारा मार्ग निर्धारित किया गया है। उत्तर–सामान्य व्यवहारिक जानकारी में उसे यही जानकारी है। मनोज पाण्डेय ट्रैक्टर पकडने के दौरान उपस्थित थे। घटनास्थल पर और कोई उपस्थित नहीं था। यह कहना सही है कि उसने घटना स्थल पर कोई जांच नहीं किया था।

16— अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.—3 मनोज देव पाण्डेय ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 27.5.2014 समय 8.30 बजे रात की है। उसे सूचना मिली कि एक ट्रैक्टर खाद्यान्न कोटे की जो कोटेदार सफीउल्ला, जो कबरी ग्राम पंचायत के कोटेदार हैं। जिसकी उठान एफ.सी.आई. गोदाम हाईडिल कोलोनी राबर्टसगंज,सोनभद्र से किया गया था। राबर्टसगंज से शीतला मंदिर होते हुए वाराणसी शक्तिनगर मार्ग तेन्दू पुल के आगे पेट्रोल पंप से 500 मीटर आगे उसके द्वारा ट्रैक्टर को रोका गया। वहीं से उसने एस.डी.एम. सदर व पूर्ति निरीक्षक को अपनी मोबाइल से सूचित किया। ट्रैक्टर चालक से उसने पूछतांछ किया था। तिरपाल से खाद्यान्न ढका हुआ था। तिरपाल खोलवाने के बाद देखा कि लगभग 60—62 बोरी गेहू, चावल, चीनी था। उक्त बोरों पर सरकारी मुहर लगी हुई थी। बोरियां मशीन से सिली हुई थी। पूछतांछ पर ट्रैक्टर चालक ने बताया कि कोटेदार सफीउल्लाह का कोटे का खाद्यान्न मधुपुर बेचने के लिए ले जा रहे है। जब उसने कहा कि सरकारी गल्ला है हाईडिल कालोनी से रेलवे स्टेशन से बेलखुरी होते हुए ग्राम पंचायत कबरी के ग्राम हेवती में वितरण होना है तो यहां कैसे। तब चालक ने कहा कि कोटेदार सफीउल्लाह ने कहा है कि मधुपुर ले चलों वहीं पर वह मिलेगा। उसकी सूचना पर 15—20 मिनट के बाद मौके पर आपूर्ति निरीक्षक राबर्टसगंज आये और ट्रैक्टर चालक से पूछताछ के उपरांत ट्रैक्टर मय खाद्यान्न कोतवाली राबर्टसगंज लाये। घटना के कुछ दिन बाद दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

17— उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि उसने पुलिस वालों को थाने पर घटना 8.30 बजे रात की है बताया था यदि पुलिस वालों ने उसके बयान 161 दं0प्र0सं0 में घटना का समय 8.30 बजे नहीं लिखा है तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। उसने पुलिस वालों को यह बात बतायी थी कि ट्रैक्टर पर 60—62 बोरी चीनी,चावल, गेहूं लदा है। यदि यह भी उसके बयान में 161 दं0प्र0सं0 में नहीं लिखी है तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। क्या आपने पुलिस को यह बयान दिया था कि जो बोरा ट्रैक्टर पर लदा था उस पर सरकारी मुहर लगी थी। उत्तर—मुहर लगी थी और मशीन से सिलाई हुई थी। यदि पुलिस वालों ने उसके बयान धारा—161दं0प्र0सं0 में यह बात नहीं लिखी है तो इसका कारण नहीं बता सकता। उसने पुलिस वालों को यह बात कि ''चालक ने कहा कि कोटेदार सफीउल्ला ने कहा है कि मधुपुर ले चलो वहीं पर वे मिलेगे'' उसे यह बात अपने बयान 161दं0प्र0सं0 में पुलिस वालों को बताया था यदि यह बात पुलिस ने न लिखी हो तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। वह तरावा व कबरी का रहने वाला है वर्तमान में कबरी में रह रहा है। कब से कबरी में रह रहा है यह उसे ध्यान नहीं है। घटना के वक्त कबरी में ग्राम सभा उसका राशन कार्ड नहीं बना था। इसलिए वह सफीउल्ला कोटेदार से राशन नहीं ले पाता था। उसने कबरी ग्रामसभा से प्रधानी का चुनाव लड़ा था यह चुनाव वर्ष 2014 के बाद वह लड़ा था उसके पहले तरावां में लड़ा था, तरावां व कबरी ग्राम सभा एक दूसरे से सटे हैं। उसके खिलाफ शकील खा की पत्नी चुनाव लड़ी थी उनका नाम याद नहीं है। उस चुनाव में शकील खां की पत्नी जीती थी। आरोपी सफीउल्ला शकील की पत्नी की पैरवी नहीं कर रहे थे वह किसी पक्ष से पैरवी नहीं कर रहे थे। उसे यह नहीं पता कि सफीउल्ला कब से कोटेदारी कर रहे हैं। शकील की पत्नी जब प्रधान थी तो उस समय सफीउल्ला कोटेदार नहीं थी। राबर्ट्सगंज से कबरी जाने का केवल एक ही रास्ता है जो रेलवे क्रासिंग से होते हुए पन्नूगंज मार्ग से बेलखुरी होते हुए कबरी जाता है। यदि यह कहा जाए कि हिन्दुआरी तेन्दू पुल से कबरी का रास्ता है तो यह गलत है। हेवती नौगढ़ वाले मार्ग पर पड़ता है। हेवती के बगल में कबरी भी है। ग्रामसभा एक ही है उसे किसी ने सफीउल्ला के द्वारा काला बाजारी की जा रही है, की शिकायत नहीं की थी। उसे किसी अधिकारी द्वारा अधिकार या आदेश नहीं दिया गया था कि किसी ट्रैक्टर को रोककर उस पर लदे खाद्यान्न को चेक करे।

18— अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.—4 जगदम्बा प्रसाद द्विवेदी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 2.6.2014 को वह बतौर निरीक्षक थाना राबर्टसगंज में नियुक्त था। मु0अ0सं0—475/ 2014 धरा—3/ 7 ई.सी. ऐक्ट बनाम

सफीउल्लाह के विरूद्ध विवेचना उसे सुपुर्द होने पर विवेचना आरंभ की। सी.डी.–1 दिनांक 2.6.2014 में नकल तहरीर हिन्दी वादी, नकल रपट, नकल आदेश दिनांकित 27.5.2014 एवं बयान लेखक एफ.आई.आर. का अंकित किया। सी.डी.–2 दिनांक 8. 6.2014 बयान वादी सत्येन्द्र कुमार, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी का अंकित किया एवं इन्हीं के निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल करके नक्शा नजरी तैयार किया। नक्शा नजरी शामिल पत्रावली है जो का0सं0–5अ/ 2 है जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। सी.डी.–3 दिनांक 11.6.2014 को किता किया गया जिसमें बयान गवाह अंशुमाली शंकर का अंकित किया गया। सी.डी.–4 दिनांक 31.7.2014 को किता किया गया जिसमें गवाह मनोज देव पाण्डेय एवं कार्ड धारक कमलेश, सुरेन्द्र, लालधारी, करीमन का अंकित किया गया। सी.डी.–5 दिनांक 16.8.2014 को किता किया गया जिसमें कार्ड धारक बच्चन राम, अगनू, गुड्डू, श्यामकुमारी, फूलमती, फुलरी तथा राजेश पुत्र हुबलाल, ट्रैक्टर चालक का बयान अंकित किया गया। सी. डी.–6 दिनांक 4.9.2014 को किता किया गया जिसमें ग्रामवासी लखंदर, शहीद, इजराइल बेग, संजय देव पाण्डेय, शम्भू, अभि0 सफीउल्लाह का बयान अंकित किया गया। सी.डी.–7 दिनांक 18.9.2014 को किता किया गया जिसमें नायब तहसीलदार अरूण का बयान अंकित किया गया। सी.डी.–8 दिनांक 23.8.2014 को किता किया गया जिसमें अभियोजन स्वीकृति के लिए जांच रिपोर्ट भेजी गयी। सी.डी.–9 दिनांक 13.12.2014 को किता किया गया जिसमें स्टाक रजिस्टर की प्रमाणित प्रति एवं एफ.सी.आई. से अभियुक्त सफीउल्लाह द्वारा उठाने खाद्यान्न की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर संलग्न सी.डी. किया गया। सी.डी.–10 दिनांक 15.1.15 को किता किया गया जिसमें पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया जो शामिल पत्रावली का0सं0–3अ है जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। एस. सी.डी–1 दिनांक 31.1.15 को अभियोग चलाये जाने की स्वीकृत आदेश जिलाधिकारी तत्कालीन से प्राप्त कर किया गया। जो का0सं0–5अ/ 21 है जो तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदान किया गया है। इनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूं। इनके हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूं जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया।

19– उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि वह मौके पर जाकर गवाहों का बयान 161 दं0प्र0सं0 में दर्ज किया था। विवेचना के दौरान उसने गुड्डू पुत्र संतू, श्याम कुमारी पत्नी रविशंकर, कुलपति पत्नी अयोध्या तथा फूलरी पत्नी रामनाथ समस्त निवासी कबरी थाना पन्नूगंज लिया था। ये सभी गवाहों ने उसे 161दं0प्र0सं0 के बयान में यह बातें बतायी थी कि उसे 35 किलो0 खाद्यान्न मिट्टी का तेल, नमक, चीनी प्रत्येक माह मिल जाता है तथा नाप तौल में उचित दर विक्रेता द्वारा कोई कमी नहीं की जाती है। उसने विवेचना के दौरान गवाहान इसराइल बेग पुत्र वजबेग निवासी हेवती, संजय देव पाण्डेय पुत्र देवराज पाण्डेय निवासी–कबरी, शम्भू पुत्र बन्नू निवासी देवरा, लखन्दर पुत्र रामस्वरूप निवासी हेवती तथा शहीद पुत्र शकूर निवासी हेवती का बयान धारा–161 दं0प्र0सं0 के तहत दर्ज किया था। इन सभी गवाहों ने अपने बयान में यह बात बतायी कि मनोज देव पाण्डेय पुत्र दीनानाथ देव पाण्डेय निवासी कबरी थाना पन्नूगंज द्वारा एक बोरी चीनी प्रत्येक माह कोटेदार से मांग की जाती रही है न देने पर गलत ढंग से उसका गल्ला पकड़वा दिया गया है जबकि कोटेदार द्वारा समय–समय पर खाद्यान्न, मिट्टी का तेल आदि दिया जाता रहा है जो उचित दर पर नियमानुसार दिया जाता रहा है। वह घटना स्थल पर गया था। घटनास्थल पर उसके द्वारा सुरेन्द्र व कमलेश का बयान नहीं लिया गया। घटनास्थल पर उसने कृष्णानन्द सिंह पुत्र विद्यासागर सिंह निवासी–सांगो थाना राबर्टसगंज तथा जागेश्वर पुत्र लक्ष्मी सिंह निवासी–सांगो थाना राबर्टसगंज का बयान लिया था अपने बयान में इन दोनों गवाहों ने घटना के समय स्थल पर मौजूद न होना बताया था और यह भी बताया था कि घटना के बारे में लोगों से सुना था । उसने ट्रैक्टर चालक राजेश पुत्र हुबलाल निवासी–बिजरी राबर्टसगंज का बयान 161 दं0प्र0सं0 के तहत लिया था। ट्रैक्टर चालक ने अपने बयान 161 दं0प्र0सं0 में उसे यह बयान दिया था कि सफीउल्लाह सरकारी गल्लों के कोटेदार है, के दुकान का गल्ला गेहूं 21 बोरी,

चावल 41बोरी तथा 5 कु0 चीने अपनी ट्रैक्टर नं0–यूपी 64जे/9756 के ट्राली पर लोड कराकर कोटेदार के घर ग्राम हेवती थाना पन्नूगंज, वाराणसी शक्तिनगर मार्ग से जा रहा था और ट्रैक्टर को तेन्दू नहर पर मनोज पाण्डेय जो पीछे से आ रहे थे, रोक लिये तथा कहे कि उसे बन्द करवायेंगे। वह भयवश ट्रैक्टर रोक दिया तथा मनोज पाण्डेय अपने मोबाइल से किसी अधिकारी के यहां फोन करके बुलवा लिये तथा अधिकारीगण उसका ट्रैक्टर खाद्यान्न सहित कोतवाली राबर्टसगंज ले गये। यह कहना सही है कि ट्रैक्टर चालक को लेकर वाराणसी शक्तिनगर मार्ग से कोटेदार के घर ग्राम हेवती थाना पन्नूगंज जाने की बात बताया था। यह भी कहना सही है कि ट्रैक्टर चालक ने उसे यह बात बताया था कि उसके ट्रैक्टर को तेन्दू नहर पर मनोज पाण्डेय जो पीछे से आ रहे थे रोक लिये। घटनास्थल पर मकान दुकान नहीं थे। यदि उसने नक्शा नजरी में इन्द्रवली पुत्र रामकुश भवन प्राथमिक विद्यालय तेन्दू दिखाया है वह सही है। घटनास्थल पर कोई दुकान जल पान की अथवा कोई अन्य मकानात नहीं थे इसलिए उसने घटनास्थल पर नक्शा नजरी में नहीं दर्शाया है। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग से ग्राम कूसी का रास्ता जाता है इस कूसी के आगे कबरी गांव पड़ता है या नहीं उसे इस बात की जानकारी नहीं है। पेट्रोल पम्प से ग्राम कूसी की तरफ जाने वाला रास्ता कितनी दूरी पर है उसने अपने नक्शा नजरी में नहीं दर्शाया है। उसने नक्शा नजरी में तेन्दू नहर उल्लिखित नहीं किया है। तेन्दू नहर से पेट्रोल पम्प की दूरी कितनी है विवेचना के दौरान उसकी दूरी अंकित करना उचित नहीं समझा। प्रश्न–ट्रैक्टर चालक द्वारा उसे यह बताने की तेन्दू नहर पर उसका ट्रैक्टर आने पर मनोज पाण्डेय ने उसे पकड़ लिया था, इसके बावजूद आपके द्वारा नक्शा नजरी में तेन्दू नहर को क्यों नहीं दर्शाया गया तथा तेन्दू नहर से पेट्रोल पम्प की दूरी क्यों नहीं अंकित की गयी? उत्तर–दौरान निरीक्षण घटनास्थल वादी मुकदमा की निशानदेही या उसके द्वारा नक्शा नजरी तैयार किया गया था न कि ट्रैक्टर चालक राजेश की निशानदेही पर इसलिए नक्शे में नहर व उसकी दूरी का उल्लेख नहीं किया है।

20– साक्षी डी.डब्लू.–1 इसराइल बेग ने अपने मुख्य बयान में कथन किया है कि दरोगा जी उसका बयान लिये थे। वह सफीउल्लाह को जानता है। सफीउल्लाह पहले कोटेदार थे। वह मनोज देव पाण्डेय को भी जानता है। मनोज देव पाण्डेय पहले तरावां में रहते थे। अब कबरी में रहते है। मनोज देव पाण्डेय सफीउल्लाह कोटेदार से एक बोरा चीनी नाजायज की मांग करते थे। गल्ला बांटने को लेकर सफीउल्ला की कभी कोई शिकायत नहीं थी। सफीउल्ला कार्डधारकों को उचित दर पर हमेशा/ प्रत्येक माह खाद्यान्न बांटा करते थे । मनोज देव पाण्डेय द्वारा किये गये नाजायज एक बोरी चीनी न देने पर मनोज देव पाण्डेय ने फर्जी एवं गलत तथ्यों के आधार पर शिकायत किया है।

21– उक्त सफाई साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि घटना कब की है उसे नहीं मालूम लेकिन ठेरे पहले की है। सफीउल्लाह से उसका घर 100 मीटर दूर है। मनोज देव पाण्डेय बड़के गांव के हैं। उन्हें वह जन्म से जानता है। उसके सामने मनोज देव पाण्डेय मांगते थे। उसे नहीं मालूम कि कोटेदार गल्ला कहां उतारते हैं। कितना बोरा गल्ला आता जाता है उसे नहीं मालूम। गल्ला लेने वह जाता था गल्ला हर माह में 5–6 तारीख को देते थे। गल्ला, मिट्टी का तेल बांटने का मानक पता है। मानक वही है कि गरीब आते है गल्ला लेते हैं। उसको खाने को सफीउल्लाह गल्ला व पैसा देते थे। उसे कितना पैसा सफीउल्लाह देते थे उसे ध्यान नहीं है।

22– सफाई साक्षी डी.डब्लू.–2 संजय देव पाण्डेय ने अपने मुख्य बयान में कथन किया है कि दरोगा जी ने उसका बयान लिया था। वह सफीउल्लाह को जानता है। उसके गांव के रहने वाले हैं। इनका कोटे की दुकान पहले थे। वह मनोज देव पाण्डेय को जानता है। मनोज देव पाण्डेय प्रत्येक माह एक बोरा चीनी की मांग नहीं करते थे। सफीउल्लाह कार्ड धारकों को मानक के अनुसार खाद्यान्न व मिट्टी का तेल प्रत्येक माह सही ढंग से देते थे वितरण आदि में कोई गड़बड़ी आदि नहीं करते थे।

23— उक्त सफाई साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि मनोज देव पाण्डेय उसके पट्टीदारी के भाई है। मनोज देव पाण्डेय से अभी तक उन लोगों में कहा—सुनी नहीं हुई है। सफीउल्लाह का ट्रैक्टर तेन्दू पुल के पास पकड़ा गया कि नहीं। उसे इसकी जानकारी नहीं है। उनके यहां कितना खाद्यान्न की उठान होती है इसकी जानकारी नहीं है। दरोगा जी उसका बयान लिये थे कि, उसे याद नहीं है। सफीउल्लाह के संदेश पर वह आज गवाही देने आया है।

24— सफाई साक्षी डी.डब्लू.—3 शहीद ने अपने मुख्य बयान में कथन किया है कि दरोगा जी उसका बयान लिये थे। वह सफीउल्ला को जानता है। सफीउल्लाह पहले कोटेदार थे। वह मनोज देव पाण्डेय को भी जानता है। मनोज देव पाण्डेय पहले तरावां में रहते थे अब कबरी में रहते हैं। मनोज देव पाण्डेय सफीउल्ला कोटेदार से एक बोरा चीनी नाजायज की मांग करते थे। गल्ला बांटने को लेकर सफीउल्ला की कभी कोई शिकायत नहीं थी। सफीउल्ला कार्डधारकों को उचित दर पर हमेशा/ प्रत्येक माह खाद्यान्न बांटा करते थे। मनोज देव पाण्डेय द्वारा किये गये नाजायज एक बोरा चीनी न देने पर मनोज देव पाण्डेय ने फर्जी एवं गलत तथ्यों के आधार पर शिकायत किया है।

25— उक्त सफाई साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि वह सफीउल्ला कोटेदार के भाई के समधी है। उस दिन गांव में शादी थी। मनोज देव पाण्डेय कह रहे थे कि चीनी एक बोरा वे नहीं दे रहे है। उसका घर कोटेदार के घर से 500मीटर दूर है। वह मौके पर था। यह बात जब तेन्दू पुल पार करके ट्रैक्टर खाद्यान्न वितरण की सामग्री लेकर जा रहा था तो हल्ला हुआ कि ट्रैक्टर खाद्यान्न सामग्री सहित पकड़ा गया है। कोटेदार के यहां एक ट्रैक्टर गल्ला जाता है। सफीउल्ला के कहने पर बयान देने आया है। उसके घर पर उस समय 35 किलो कार्ड पर मिलता था यूनिट के हिसाब से 2किलोग्राम मिलता था। घटना के बाबत पुलिस उससे पूछताछ की थी। महीना शुरू होने के 10—15 दिन बाद गल्ला का वितरण होता था। उसने अपनी आंख से कभी मनोज देव पाण्डेय को चीनी लेते नहीं देखा था।

26— प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध मुख्यतः यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 27.05.2014 को समय 8.30 बजे बहदस्थान तेन्दू पुल के आगे पेट्रोल पम्प के पास थाना—राबटर्सगंज,जनपद—सोनभद्र में वाहन ट्रैक्टर संख्या—यू0पी 64जे—9756 पर जांच की गयी तो आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 41 बोरी चावल, 21 बोरी गेंहू व 5 बोरा चीनी को बरामद किया गया। जिसे आप कालाबाजारी करने हेतु ले जा रहे थे जिसे शिकायतकर्ता के शिकायत से पकड़ लिया गया। इस प्रकार आप ने उ0प्र0अनु0 वस्तु वितरण आदेश 2004 के प्राविधानों का उल्लंघन किया।

27— अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि वह दिनांक 27.05. 2014 को दो ट्रैक्टर पर सार्वजनिक गल्ले के गोदाम से माल उठाकर ले जा रहा था तथा दोनो ट्रैक्टर तेन्दु के रास्ते से कबरी जा रहा था एक ट्रैक्टर कबरी पहुंच गया तथा दूसरा ट्रैक्टर सं0—यूपी 64जे—9756 पर लदा 41 बोरी चावल, 21 बोरी गेहूं व 5 बोरा चीनी को मनोज कुमार देव पाण्डेय ने तेन्दू पुल के पास रोकवा कर तथा अधिकारियों को सूचना दिया कि उक्त माल कालाबजाारी हेतु ले जा रहे है, जबकि वह रास्ता खराब होने के कारण तेन्दु के रास्ते से कबरी जा रहा था। उसके द्वारा कोई कालाबाजारी नहीं की गयी है। उसके द्वारा प्रत्येक माह समय से गल्ला वितरित किया जाता है तथा जॉच अधिकारी द्वारा की गयी जांच में किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा है कि उसका गल्ला नहीं दिया जाता है। इस प्रकार उसको दोषमुक्त किया जाये।

28— अभियोजन द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा सरकारी सस्ते गल्ले की चोर बाजारी करने के लिए ले जाया जा रहा था। जिसे उनके साक्षियों द्वारा बखूबी साबित किया गया है। अतः अभियुक्त को कठोर से कठोर दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

29— साक्ष्य की विवेचना किये जाने से पूर्व आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा—3/ 7 का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा—

**3 आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि का नियंत्रण करने की शक्तियां–**(1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि किसी आवश्यक वस्तु के प्रदाय को बनाये रखने या बढ़ाने के लिये या उनका साम्यिक वितरण और उचित कीमतों पर उसकी उपलभ्यता सुनिश्चित करने के लिये अथवा भारत को रक्षा के लिये या सैनिक संक्रियाओं के दक्ष संचालन के लिये किसी आवश्यक वस्तु की प्राप्ति के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा उसके उत्पादन, प्रदाय और वितरण तथा उसमें व्यापार और वाणिज्य के विनियमन या प्रतिषेध के लिये उपबन्ध कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तद्धीन किये गये आदेश द्वारा निम्नलिखित का उपबन्ध किया जा सकेगा–

(क) किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण या अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों द्वारा या अन्यथा विनियमनः

(ख) किसी बंजर या कृष्य भूमि को, चाहे वह किसी भवन से अनुलग्न हो या न हो उस पर सामान्यतः खाद्य फसलों या विनिर्दिष्ट फसलों को उगाने के लिये खेती के अधीन लाना और सामान्यतः खाद्य फसलों या विनिर्दिष्ट खाद्य फसलों की खेती अन्यथा बनाये रखना या

(ग). ऐसो कीमत नियन्त्रित करना जिास पर किसी आवश्यक वस्तु का क्रय या विक्रय किया जा सकेगा,

(घ) किसी आवश्यक बस्तु के भण्डारकरण, परिवहन, वितरण, व्ययन, अर्जन, प्रयोग या खपत की अनुवतियों, अनुज्ञापत्रों द्वारा या अन्यथा विनियमनः

(ङ) सामान्यतः विक्रय के लिये रखी गयी किसी आवश्यक वस्तु को विक्रय के रोक रखने का प्रतिषेध;

(च) किसी व्यक्ति से, जो किसी आवश्यक वस्तु को स्टॉक में रखता है या उसके उत्पादन में या उसके क्रय या विक्रय के कारोबार में लगा हुआ है, यह अपेक्षा करना कि वह–

(क) उस सम्पूर्ण मात्रा या उसके विनिर्दिष्ट भाग का जिसे यह स्टॉक में रखता है या जिसका उसने उत्पादन किया है या जिसे उसने प्राप्त किया है, अथवा

(ख) किसी ऐसी वस्तु की दशा में, जिसका वह सम्भवतः उत्पादन करेगा जिसे वह सम्भवतः प्राप्त करेगा, उसके द्वारा उत्पादन या प्राप्त करने पर उस सम्पूर्ण वस्तु या उसके विनिर्दिष्ट भाग का।

केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को या ऐसी सरकार के किसी अधिकारी या अभिकर्ता को या ऐसी किसीं सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम को या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को और ऐसी परिस्थितियों में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, विक्रय करें।

स्पष्टीकरण (1) खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों के सम्बन्ध में इस खण्ड के अधीन किये गये किसी आदेश द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र में ऐसे खाद्यान्नों, खाद्य तेलों के प्राक्कलित उत्पादन को ध्यान में रखते हुये, ऐसे क्षेत्र में उत्पादकों द्वारा विक्रय की जाने वाली मात्रा नियत की जा सकेगी और श्रेणी के आधार पर ऐसी मात्रा उत्पादकों द्वारा धृत या उनकी जोत के कुल क्षेत्र को ध्यान में रखते हुये भी नियत की जा सकेगी या उसके नियतन के लिये उपबन्ध किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण (2)– इस खण्ड के प्रयोजन के लिये ''उत्पादन'' के अन्तर्गत उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित, खाद्य तेलों और चीनी का विनिर्माण भी है,

(छ) खाद्य पदार्थों (****), से सम्बद्ध ऐसे वर्ग के किन्हीं वाणिज्यिक या वित्तीय संव्यवहारों का विनियमन या प्रतिषेध जो कि आदेश देने वाले प्राधिकारी की राय में लोक हित के लिये हानिकर है या यदि अविनियमित रहे तो हानिकर हो सकते हैं;

(ज) पूर्वोक्त बातों में से किसी का विनियमन या प्रतिषेध या प्रतिषेध करने को दृष्टि से किसी जानकारी या आंकड़ों का संग्रहणः

(झ) किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय या वितरण अथवा उसमें व्यापार और वाणिज्य में लगे व्यक्तियों से यह अपेक्षा करना कि वे अपने कारबार से

सम्बद्ध ऐसी पुस्तकें, लेखे और अभिलेख रखें और निरीक्षण के लिये पेश करें तथा उसके सम्बन्ध में ऐसी जानकारी दें जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये।

(झझ) अनुज्ञधियों, अनुज्ञापत्रों या दस्तावेजों का दिया जाना या जारी किया जाना, उनके लिये फीसें लिया जाना, ऐसी किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या अन्य दस्तावेज की शर्तों के सम्यक् पलन के लिये प्रतिभूति के रूप में ऐसी राशि का, यदि कोई है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो, जमा किया जाना, ऐसी जमा की गई राशि या उसके किसी भाग का किन्हीं ऐसी शर्तों के उल्लंघन पर समपहरण तथा ऐसे समपहरण का ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये न्यायनिर्णयन,

(ञ) कोई अनुषांगिक और अनुपूरक विषय जिसके अन्तर्गत विषय, जिसके अन्तर्गत विशिष्टतया परिसरों, विमानों, गाड़ियों अथवा अन्य प्रवहणों में प्रवेश तथा उनकी एवं पशुओं की तलाशी और परीक्षा एवं ऐसा प्रवेश, तलाशी या परीक्षा करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित कार्य भी है–

(i)–किन्हीं ऐसी चीजों का, जिनकी बाबत ऐसे व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि आदेश का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया ही जाने वाला है और किन्हीं ऐसे पैकेजों, आवेष्टकों या पात्रों का, जिनमें ऐसी चीजें पाई जायें, अभिग्रहण,

(ii) ऐसी चीजों को ले जाने में प्रयुक्त विमानों, जलयानो, गाड़ियों अथवा अन्य प्रवहणों पशुओं का उस दशा में अभिगहण, जब ऐसे व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा विमान, जलयान, गाड़ी अन्य प्रवहण या पशु इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन समपहरणीय है।

(iii) किन्हीं ऐसी लेखा–पुस्तकों और दस्तावेजों का अभिग्रहण, जो ऐसे व्यक्ति की राय में इस अधिनियन के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हो तथा वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा में ऐसी लेखा–पुस्तकों या दस्तावेजों का अभिग्रहण किया गया है, उस अधिकारी की उपस्थिति में, जिसको अभिरक्षा में ऐसी लेखा–पुस्तकें य दस्तावेजें हैं, उनकी प्रतियाँ बनाने या उनसे उद्धरण लेने का हकदार होगा।

(3) जहाँ कोई व्यक्ति किसी आवश्यक वस्तु का विक्रय उपधारा (2) के खण्ड (च) के प्रति निर्देश से किये गये आदेश के अनुचलन में करता है वहाँ के लिये ऐसी कीमत दी जायेगी जो इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित है–

(क) वहाँ कीमत, इस धारा के अधीन नियत नियन्त्रित कीमत से, यदि कोई हो, संगत रह कर करार पाई जा सकती है वहाँ वह करार पायी गयी कीमत,

(ख) जहाँ ऐसा कोई करार नहीं हो सकता वहाँ नियन्त्रित कीमत के, यदि कोई हो, प्रति निर्देश से परिकलित कीमत,

(ग) जहाँ न तो खण्ड (क) और न खण्ड (ख) लागू होता है वहाँ उस परिक्षेत्र में विक्रय को तारीख को अभिभावी बाजार दर पर परिकलित कीमत।

(3–क) (i) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी परिक्षेत्र में किन्हीं खाद्य पदार्थों में कीमतों की चढ़ाव को नियंत्रित करने या जमाखोरी को निवारित करने के लिये ऐसा करना आवश्यक है तो बह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगा कि उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी वह कीमत, जिस पर कि उस परिक्षेत्र में खाद्य पदार्थ का विक्रय उपधारा (2) के खण्ड (च) के प्रति निर्देश से किये गये आदेश के अनुपालन में किया जायेगा, इस उपधारा के उपबन्धों के अनुसार विनियमित की जायेगी।

(ii) इस उपधारा के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना तीन मास से अधिक की ऐसी कालावधि के लिए प्रवृत रहेगी जैसी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो।

(iii) जहाँ इस उपधारा के अधीन अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् कोई व्यक्ति उसमें विनिर्दिष्ट प्रकार के खाद्य पदार्थ का, और ऐसे विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में विक्रय उपधारा (2) के खण्ड (च) के प्रति निर्देश से किये गये किसी आदेश के

अनुपालन में करता है, वहाँ उसके लिये विक्रेता को निम्नलिखित कीमत दी जायेगी–

(क) जहाँ कीमत, इस धारा के अधीन नियत खाद्य पदार्थ को नियन्त्रित कीमत से, यदि कोई हो, संगत रहकर करार पायी जा सकती है वहाँ वह करार पायी गयी कीमतः

(ख) जहाँ ऐसा कोई करार नहीं हो सकता वहाँ नियन्त्रित कीमत के, यदि कोई हो, प्रति निर्देश है परिकलित कीमत,

(ग) जहाँ न तो खण्ड (क) और न खण्ड (ख) ही लागू होता है वहाँ अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्वगामी तीन मास की कालावधि के दौरान उस परिक्षेत्र में अभिभावी औसत बाजार दर के प्रति निर्देश से परिकलित कीमत ।

(iv) खण्ड (iii) के उपखण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिये उस परिक्षेत्र में अभिभावी औसत बाजार दर का अवधारण इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उस परिक्षेत्र की या पड़ोस के परिक्षेत्र की बाबत अभिभावी ऐसे बाजार दरों के प्रति निर्देश से किया जायेगा जिनके लिये प्रकाशित आंकड़े उपलभ्य हैं और ऐसे अवधारित औसत बाजार दर अन्तिम होंगे और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जायेंगे।

(3–ख) जहाँ उपधारा (2) खण्ड (च) के प्रति निर्देश से किये गये किसी आदेश द्वारा किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा की गयी है कि वह केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को या ऐसी सरकार के किसी अधिकारी या अभिकर्ता को अथवा ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम को, किसी ऐसी श्रेणी या किस्म के खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों का विक्रय करे जिनके सम्बन्ध में उपधारा (3–क) के अधीन या तो कोई अधिसूचना निकाली ही नहीं गई है या ऐसी अधिसूचना निकाली गई है किन्तु प्रवृत्त नहीं है, वहाँ सम्बन्धित व्यक्ति को, उपधारा (3) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, उतनी रकम का संदाय,जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट यथास्थिति ऐसे खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों की वसूली की कीमत के बराबर हो, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हुये किया जायेगा–

(क) यदि ऐसी श्रेणी या किस्म के खाद्यान्नों, तिलहनों या खाद्य तेलों के लिये कोई नियन्त्रित कीमत इस धारा के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन नियत की गयी हो तो उस कीमत का,

(ख) फसल की साधारण सम्भावनाओं का,

(ग) उपभोक्ताओं को विशेष रूप से उपभोक्ताओं के दुर्बल वर्गों को, ऐसी श्रेणी या किस्म के खाद्यान्न, खाद्य तिलहन या खाद्य तेल युक्तियुक्त कीमत पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता का, और

(घ) यदि सम्बन्धित श्रेणी या किस्म के खाद्यात्रों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों की कीमत के सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें, यदि कोई हो, तो उन सिफारिशों का।

[(3ग) जहां उपधारा (2) के खंड (च) के प्रति निर्देश से किए गए किसी आदेश द्वारा किसी उत्पादक से यह अपेक्षित है कि वह किसी प्रकार की चीनी (चाहे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को या ऐसी सरकार के किसी अधिकारी या अभिकर्ता को या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को) विक्रीत करे, चाहे उपधारा (3क) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई थी या अन्यथा, वहां, उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, उस उत्पादक को केवल वह रकम संदत्त की जाएगी, जो केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा, अवधारित करे–

(क) उचित और लाभकारी कीमत, यदि कोई हो, जो इस धारा के अधीन विचार में ली जाने वाली गन्ने की कीमत के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की गई हो,

(ख) चीनी की विनिर्माण लागत,

(ग) उस पर संदत्त या संदेय शुल्क या कर, यदि कोई हो, और

(घ) चीनी विनिर्माण के कारबार में लगाई गई पूंजी पर युक्तियुक्त प्रत्यागमः

परंतु केंद्रीय सरकार भिन्न–भिन्न क्षेत्रों या कारखानों अथवा भिन्न–भिन्न प्रकार की चीनी के लिए, समय–समय पर, भिन्न–भिन्न कीमतें अवधारित कर सकेगा,

परंतु यह और कि जहां चीनी सत्र 2008–2009 तक उत्पादित चीनी के संबंध में उद्गृहीत चीनी की कीमत का कोई अनंतिम अवधारण किया गया है, वहां अंतिम कीमत, इस उपधारा के उपबंधों के अधीन, जैसी वह 1 अक्तूबर, 2009 से ठीक पूर्व थी, अवधारित की जा सकेगी।

'[स्पष्टीकरण **1]** – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) ''उचित और लाभकारी कीमत'' से इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित गन्ने की कीमत अभिप्रेत है,

(ख) ''चीनी की विनिर्माण लागत'' से गन्ने के चीनी में संपरिवर्तन पर उपगत शुद्ध लागत अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उत्पादक द्वारा वहन की गई सीमा तक क्रय केन्द्र से कारखाने के द्वार तक गन्ने के परिवहन की शुद्ध लागत भी है,

(ग) ''उत्पादक'' से चीनी विनिर्माण का कारबार करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है,

(घ) ''लगाई गई पूंजी पर युक्तियुक्त प्रत्यागम'' से चीनी के विनिर्माण के संबंध में कुल स्थिर आस्तियों सहित उत्पादक की कामकाज पूंजी पर प्रत्यागम अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत इस धारा के अधीन अवधारित उचित और लाभकारी कीमत पर गन्ने का उपापन भी है।]

2[ स्पष्टीकरण 2– सन्देहों के निवारण के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अपराध के खण्ड (क) में निर्दिष्ट पद ''ऋतु और लाभकारी'', खण्ड (ख) में निर्दिष्ट ''चीनी की विनिर्माण लागत'' और खण्ड (घ) में निर्दिष्ट ''लगाई गई पूँजी पर युक्तियुक्त प्रत्यागम'' किसी राज्य सरकार के किसी आदेश या किसी अधिनियमिति के अधीन संदत या संदेय कीमत औह उत्पादक तथा उगाने वाले या गन्ना उत्पादक सहकारी समिति के बीच करारित किसी कीमत को शामिल नहीं करता।]

3[(3–घ) केन्द्रीय सरकार यह निर्देश दे सकेगी कि कोई भी उत्पादक, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता, ऐसे कारखाने के बन्धित गोदामों से, जिसमें वह उत्पादित की जाती है, भले ही ऐसे गोदाम उस कारखाने के परिसर के भीतर स्थित हों या बाहर अथवा यथास्थिति, आयातकर्ताओं या निर्यातकर्ताओं के भाण्डागारों से उस सरकार द्वारा जारी निर्देश के अधीन या उसके अनुसार सिवाय, किसी प्रकार की चीनी का विक्रय नहीं करेगा या उसका किसी अन्य रीति में व्ययन नहीं करेगा अथवा परिदान नहीं करेगा या किसी प्रकार को चीनी को नहीं हटाएगा,

परन्तु यह धारा, किसी उत्पादक या आयातकर्ता द्वारा ऐसी चीनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 के खण्ड (ङ) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या बैंककारी कम्पनी (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन गठित किसी तत्स्थानी नये बैंक के हक में गिरवी रखने को प्रभावित नहीं करेगी, किन्तु वह इस प्रकार कि ऐसा कोई बैंक उसके पास गिरवी रखी गई चीनी का, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी निर्देश के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय, विक्रय नहीं करेगा।

(3–ङ) केन्द्रीय सरकार, समय–समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी उत्पादक मा आयातकर्ता या निर्यातकर्ता या मान्यता प्राप्त व्यौहारी या उत्पादकों के किसी वर्ग अथवा मान्यता प्राप्त व्यौहारियों को किसी प्रकार की चीनी के, उस निदेश में विनिर्दिष्ट रीति से उत्पादन, स्टॉक के रख–रखाव भण्डारकरण, विक्रय, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिह्नांकन, तौल, व्ययन, परिधान और वितरण के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिए निदेश दे सकेगी।

स्पष्टीकरण–उपधारा (3–घ) और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) ''उत्पादक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो चीनी विनिर्माण का कारबार कर रहा है,

(ख) ''मान्यताप्राप्त व्यौहारी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो चीनी का क्रय करने, विक्रय करने या वितरण करने का कारोबार कर रहा है,

(ग) ''चीनी'' के अन्तर्गत प्लांटेशन सफेद चीनी, कच्ची चीनी और परिष्कृत चीनी भी है, भले ही यह देश में ही उत्पादित हो या आयात की गई हो।

(4) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन और प्रदाय को बनाये रखने या बढ़ाने के लिये ऐसा करना आवश्यक है तो यह आदेश किसी व्यक्ति को (जो इसके पश्चात् इसमें प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में निर्दिष्ट है) उस वस्तु के उत्पादन और प्रदाय में संलग्न किसी ऐसे उपक्रम या उसके किसी भाग की बाबत, जैसा कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो, नियंत्रण के ऐसे कृत्यों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत कर सकेंगी जैसे उसमें उपबन्धित किये जायें और जब तक ऐसा आदेश किसी उपक्रम या उसके भाग की बाबत प्रवृत्त है–

( क) जो भी आदेश प्राधिकृत नियन्त्रक को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जायें उनके अनुसार यह अपने कृत्यों का प्रयोग करेगा, किन्तु इस प्रकार कि उसे उपक्रम में प्रबन्ध के भारसाधक व्यक्तियों के कृत्यों का अवधारण करने वाली किसी अधिनियमिति या किसी लिखत के उपबन्धों से असंगत कोई निर्देश वहाँ तक के सिवाय, जहाँ तक कि आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट या उपबन्धित हो, देने की शक्ति नहीं होगी और

(ख) आदेश के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत नियन्त्रक द्वारा जो भी आदेश दिये जायें उनके अनुसार उपक्रम या उसके भाग को चलाया जायेगा और उस उपक्रम या उस भाग के सम्बन्ध मैं प्रबन्ध के किन्हीं कृत्यों से सम्बद्ध कोई भी व्यक्ति ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा।

(5) इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश–

(क) सामान्य प्रकार के या व्यक्तियों के किसी वर्ग को प्रभावित करने वाले आदेशों की दशा में, शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा, और

(ख) किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को निर्दिष्ट आदेश की दशा में, ऐसे व्यक्ति पर–

(i) उस व्यक्ति को देकर या देने के लिये प्रस्तुत करके तामील किया जायेगा, या

(ii) यदि वह इस प्रकार दिया या देने के लिये प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तो उसे उन परिसरों के जिनमें वह व्यष्टि रहता है बाहरी दरवाजे या किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर लगाकर तामील किया जायेगा और उसकी एक लिखित रिपोर्ट तैयार की जायेगी और पड़ोस में रहने वाले दो व्यक्तियों द्वारा साक्षित की जायेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन किया गया हर एक आदेश, किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद के समक्ष रखा जायेगा।

**7. शास्तियाँ**–(1) यदि कोई व्यक्ति धारा–3 के अधीन किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करेगा–(क) तो वह–

(i) उस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (ज) या खण्ड (झ) के प्रति निर्देश से किये गये आदेश की दशा में कारावास से जिसको अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा, तथा

(ii) किसी अन्य आदेश की दशा में कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी, किन्तु सात वर्ष की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा,

परन्तु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के आधार पर, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जायेगा, तीन मास से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश दे सकेगा।

(ख) तो ऐसी सम्पत्ति जिसकी बाबत आदेश का उल्लंघन किया गया है सरकार के पक्ष में समपहत कर ली जायेगी।

(ग) तो कोई पैकेज, आवेष्टक या पात्र जिसमें सम्पत्ति पायी गयी हो और कोई पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य प्रवहण जिसे सम्पत्ति को ले जाने में प्रयुक्त किया गया हो, न्यायालय द्वारा आदेश दिये जाने पर सरकार के पक्ष में समपहृत कर लिये जायेंगे।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा–3 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन निर्देश दिया गया हो उस निर्देश का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा,

परन्तु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के आधार पर, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जायेगा, तीन मास से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश दे सकेगा।

(2–क) यदि उपधारा (1) के खण्ड (क) उपखण्ड (ii) के अधीन या उपधारा (2) के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया कोई व्यक्ति उसी उपबन्ध के अधीन किसी अपराध के लिये पुनः सिद्धदोष ठहराया जायेगा तो वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिये कारावास से जिसकी अवधि छः मास से कम की नहीं होगी, किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा,

परन्तु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के आधार पर, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जायेगा, छः मास से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश दे सकेगा।

(2 –ख) उपधारा (1), (2) और (2–क) के प्रयोजनों के लिये, यह बात कि उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) के अधीन या उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध से जनसाधारण या किसी व्यक्ति को कोई खास हानि हुई है, यथास्थिति, तीन मास या छः मास से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश देने का पर्याप्त और विशेष कारण होगी।

(3) जहाँ उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध से सिद्धदोष हुआ कोई व्यक्ति, किसी आवश्यक वस्तु की बाबत किसी आदेश के उल्लंघन के लिये उस उपधारा के अधीन किसी अपराध का पुनः सिद्धदोष होता है वहाँ वह न्यायालय जिसके द्वारा ऐसा व्यक्ति सिद्धदोष किया जाये उस किसी शास्ति के अतिरिक्त, जो उस धारा के अधीन उस पर अधिरोपित की जाये, आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति उस आवश्यक वस्तु में छः मास से अन्यून ऐसी कालावधि तक, जैसी आदेश में न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, कोई कारबार नहीं करेगा।

30– प्रस्तुत प्रकरण में मुख्यतः यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्त द्वारा सरकारी सस्ते गल्ले की कालाबाजारी कर लाभ अर्जित किया गया है?

31– इस संबंध में अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–1 सत्येन्द्र कुमार राय ने अपने मुख्य बयान में कथन किया कि दिनांक 27.5.2014 को एस.डी.एम. राबर्टसगंज के निर्देश पर तत्कालीन प्रभारी पूर्ति निरीक्षक चोपन श्री अंशुमाली शंकर घटना स्थल पर पहुंचे। मौके पर एक ट्रैक्टर ट्राली पर 21 बोरी गेहूँ, 41 बोरी चावल तथा 5 बोरा चीनी लदी हुई थी। जो तेन्दू पुल से वाराणसी वाले रास्ते पर पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे खड़ा था। उक्त ट्रैक्टर श्री मनोज देव पाण्डेय द्वारा रोका गया था। उक्त ट्रैक्टर चालक श्री राजेश द्वारा यह बताया गया कि इस पर ग्राम पंचायत कबरी के उचित दर विक्रेता का खाद्यान्न व चीनी लदा है। कबरी जाने का रास्ता दूसरी तरफ से है जिस रास्ते पर ट्रैक्टर खड़ा था वह रास्ता कबरी की तरफ नहीं जाता। मामला संदेहास्पद होने पर ट्रैक्टर राबर्टसगंज थाने पर ले जाया गया। एस. डी.एम. के निर्देश पर नायब तहसीलदार और उसके द्वारा दिनांक 29.5.2014 को ग्राम पंचायत कबरी में जाकर जांच की गयी। जांच के दौरान कुल 63 कार्ड धारकों के बयान अभिलिखित किये गये। कार्ड धारकों/उनके परिवार के सदस्यों ने अपने बयान में बताया कि उन्हें बी.पी.एल. कार्ड पर मु0–220/–रू0, अन्त्योदय कार्ड पर

खाद्यान्न मु0–100/–रू0 में दिया जाता है। चीनी 17–20 रूपये प्रति किलो दी जाती है। उक्त आख्या एस.डी.एम. राबर्टसगंज को प्रस्तुत की गयी। जांच के दौरान मौके पर स्टाक का भौतिक सत्यापन उचित दर विक्रेता सफीउल्लाह की दुकान पर उपलब्ध किया गया था। मौके पर 81 बोरी गेहूँ, 112 बोरी चावल तथा 40 किलो चीनी पायी गयी थी। उचित दर विक्रेता द्वारा यह भी बताया गया कि इसमें मिड डे मिल का स्टाक भी सम्मिलित है। बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि वह आज अपने साथ स्टाक रजिस्टर की मूल नहीं लाया है। उसे उक्त घटना के बाबत कोई शिकायत प्रा0पत्र नहीं मिला था। वह मौके पर घटनास्थल पर नहीं गया था। गाड़ी थाने पर आने के बाद एस.डी.एम. राबर्टसगंज के निर्देश पर वह नायब तहसीलदार के साथ गठित टीम के साथ ग्राम पंचायत कबरी गया था और वहां लोगों का बयान लिया था। गवाहों/ कार्ड धारकों द्वारा दिये गये बयान को उसने अभिलिखित किया था। उसे कार्ड धारकों द्वारा बयान में यह बताया गया था कि वितरण होता है किन्तु गवाहों द्वारा बताया गया कि अधिक मूल्य पर वितरण किया जाता है। सफीउल्ला के उपर खाद्यान्न कालाबाजारी को लेकर पूर्व में कोई शिकायत नहीं थी। कबरी ग्राम पंचायत जाने का रास्ता तेन्दू पुल से नहर से भी जाता है। उसने न्यायालय के समक्ष दिये गये मुख्य बयान में यह तथ्य अंकित नहीं किया है कि सफीउल्ला के द्वारा खाद्यान्नों की किसी प्रकार से काला बाजारी की गयी है। उसे घटना के बाबत मनोज देव पाण्डेय के द्वारा कोई जानकारी नहीं प्राप्त की। कबरी वाला मार्ग ग्राम कूसी से होकर जाता है वह पेट्रोल पम्प से आगे पड़ता है। पेट्रोल पम्प से कूसी जाने वाला मार्ग लगभग 100मीटर की दूरी पर है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि उसने कोटेदार सफीउल्ला को किसी व्यापारी या दुकान के साथ नहीं पकड़ा था बल्कि एक प्राइवेट व्यक्ति, जो कोटेदार के गॉव था उसके द्वारा कोटेदार ट्रैक्टर तेन्दू पुल के पास रोका गया था उसकी शिकायत पर कोटेदार का ट्रैक्टर पकड़ा गया तथा निर्धारित मार्ग से नहीं जा रहा था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक सामान्य व्यक्ति की शिकायत और उसके द्वारा रोके गये ट्रैक्टर निर्धारित रास्ते से न जाने के कारण पकड़ा गया। साक्षी ने यह कहा है कि कबरी ग्राम पंचायत जाने का रास्ता तेन्दु पुल से नहर से भी जाता है। उपरोक्त कथन स्पष्ट है कि कोटेदार द्वारा सस्ते गल्ले की कोई कालाबाजारी नहीं की गयी है।

32– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–2 अंशुमाली शंकर ने दिनांक 27.5.2014 समय रात 8.30 बजे एस.डी.एम. सदर द्वारा दूरभाष से दिये गये निर्देश पर उसे एक शिकायत प्राप्त हुई कि एक ट्रैक्टर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न काला बाजारी हेतु वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग पर ले जाया जा रहा है। उसके द्वारा ट्रैक्टर को तेन्दू पुल पेट्रोल पंप से लगभग 500मीटर उत्तर दिशा में मधुपुर साइड पकड़ी गयी। ट्रैक्टर नं0–यूपी64जे/ 9756 खड़ी थी जिसमें कि 41 बोरी चावल, 21 बोरी गेहूं एवं 5 बोरा चीनी लदा था। ट्रैक्टर चालक राजेश द्वारा पूछने पर यह बताया गया कि उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत कबरी श्री सफीउल्लाह के कहने पर खाद्यान्न लदा इस ट्रैक्टर को लेकर इस मार्ग से जा रहा था। शिकायतकर्ता श्री मनोज पाण्डेय के द्वारा इस ट्रैक्टर को पकड़कर रोका था। मनोज पाण्डेय द्वारा बार–बार कहा कि यह काला बाजारी हेतु ले जाया जा रहा है। बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि उसे शिकायत की सूचना एस.डी.एम. सदर द्वारा फोन पर बतायी गयी थी। उसे कोई शिकायत किसी शिकायतकर्ता द्वारा प्राप्त नहीं हुई। उसे व्यक्तिगत रूप से राबर्टसगंज से कबरी जाने का केवल एक ही रास्ता पता था जो राबर्टसगंज से पन्नूगंज के मार्ग से जाता था। उसे कबरी जाने का रास्ता जो हिन्दुवारी से होकर जाता है उसकी जानकारी नहीं थी। इसलिए उसने यह पता नहीं किया कि कबरी जाने का रास्ता हिन्दुआरी से होकर जाता है कि नहीं। घटना स्थल पर केवल दो लोग खड़े थे जिसमें एक शिकायतकर्ता व एक ट्रैक्टर था चालक था। ट्रैक्टर चालक से भी उसने पूछताछ किया था। पूछताछ के क्रम में ट्रैक्टर चालक ने उसे यह बताया कि कोटेदार के निर्देश पर वह ट्रैक्टर लेकर इस

रास्ते से जा रहा है। उसके अनुसार हिन्दुआरी से होकर जो रास्ता जाता है वह कबरी नहीं जाता है। प्रश्न–आपको इस बात की जानकारी थी कि कबरी जाने का निर्धारित मार्ग कौन है? उत्तर–उसकी जानकारी अनुसार राबर्टसगंज से लादने के बाद खाद्यान्न पन्नूगंज के रास्ते से कबरी जाती थी। प्रश्न–क्या राबर्टसगंज से कबरी जाने वाला मार्ग पन्नूगंज मार्ग से होकर ही जायेगा। यह एस.डी.एम द्वारा या डी.एम. द्वारा मार्ग निर्धारित किया गया है। उत्तर–सामान्य व्यवहारिक जानकारी में उसे यही जानकारी है। मनोज पाण्डेय ट्रैक्टर पकडने के दौरान उपस्थित थे। घटनास्थल पर और कोई उपस्थित नहीं था। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि उसने कोटेदार सफीउल्ला को किसी व्यापारी या दुकान के साथ नहीं पकड़ा था बल्कि एक प्राइवेट व्यक्ति, जो कोटेदार के गॉव था उसके द्वारा कोटेदार ट्रैक्टर तेन्दु पुल के पास रोका गया था उसकी शिकायत पर कोटेदार का ट्रैक्टर पकड़ा गया तथा निर्धारित मार्ग से नहीं जा रहा था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक सामान्य व्यक्ति की शिकायत और उसके द्वारा रोके गये ट्रैक्टर निर्धारित रास्ते से न जाने के कारण पकड़ा गया। उपरोक्त कथन स्पष्ट है कि कोटेदार द्वारा सस्ते गल्ले की कोई कालाबाजारी नहीं की गयी है।

33– अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–3 मनोज देव पाण्डेय ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 27.5.2014 समय 8.30 बजे रात की है। उसे सूचना मिली कि एक ट्रैक्टर खाद्यान्न कोटे की जो कोटेदार सफीउल्ला, जो कबरी ग्राम पंचायत के कोटेदार हैं। जिसकी उठान एफ.सी.आई. गोदाम हाईडिल कोलोनी राबर्टसगंज,सोनभद्र से किया गया था। राबर्टसगंज से शीतला मंदिर होते हुए वाराणसी शक्तिनगर मार्ग तेन्दू पुल के आगे पेट्रोल पंप से 500 मीटर आगे उसके द्वारा ट्रैक्टर को रोका गया। वहीं से उसने एस.डी.एम. सदर व पूर्ति निरीक्षक को अपनी मोबाइल से सूचित किया। ट्रैक्टर चालक से उसने पूछतांछ किया था। तिरपाल से खाद्यान्न ढका हुआ था। तिरपाल खोलवाने के बाद देखा कि लगभग 60–62 बोरी गेहू, चावल, चीनी था। पूछताछ पर ट्रैक्टर चालक ने बताया कि कोटेदार सफीउल्लाह का कोटे का खाद्यान्न मधुपुर बेचने के लिए ले जा रहे है। जब उसने कहा कि सरकारी गल्ला है हाईडिल कालोनी से रेलवे स्टेशन से बेलखुरी होते हुए ग्राम पंचायत कबरी के ग्राम हेवती में वितरण होना है तो यहां कैसे। तब चालक ने कहा कि कोटेदार सफीउल्लाह ने कहा है कि मधुपुर ले चलों वहीं पर वह मिलेगा। बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि उसने पुलिस वालों को थाने पर घटना 8.30 बजे रात की है बताया था यदि पुलिस वालों ने उसके बयान 161 दं0प्र0सं0 में घटना का समय 8. 30 बजे नहीं लिखा है तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। उसने पुलिस वालों को यह बात बतायी थी कि ट्रैक्टर पर 60–62 बोरी चीनी,चावल, गेहूं लदा है। यदि यह भी उसके बयान में 161 दं0प्र0सं0 में नहीं लिखी है तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। क्या आपने पुलिस को यह बयान दिया था कि जो बोरा ट्रैक्टर पर लदा था उस पर सरकारी मुहर लगी थी। उत्तर–मुहर लगी थी और मशीन से सिलाई हुई थी। यदि पुलिस वालों ने उसके बयान धारा–161दं0प्र0सं0 में यह बात नहीं लिखी है तो इसका कारण नहीं बता सकता। वह तरावा व कबरी का रहने वाला है वर्तमान में कबरी में रह रहा है। कब से कबरी में रह रहा है यह उसे ध्यान नहीं है। घटना के वक्त कबरी में ग्राम सभा उसका राशन कार्ड नहीं बना था। इसलिए वह सफीउल्ला कोटेदार से राशन नहीं ले पाता था। उसने कबरी ग्रामसभा से प्रधानी का चुनाव लड़ा था यह चुनाव वर्ष 2014 के बाद वह लड़ा था उसके पहले तरावां में लड़ा था, तरावां व कबरी ग्राम सभा एक दूसरे से सटे हैं। राबर्ट्सगंज से कबरी जाने का केवल एक ही रास्ता है जो रेलवे क्रासिंग से होते हुए पन्नूगंज मार्ग से बेलखुरी होते हुए कबरी जाता है। यदि यह कहा जाए कि हिन्दुआरी तेन्दू पुल से कबरी का रास्ता है तो यह गलत है। हेवती नौगढ़ वाले मार्ग पर पड़ता है। हेवती के बगल में कबरी भी है। ग्रामसभा एक ही है उसे किसी ने सफीउल्ला के द्वारा कालाबाजारी की जा रही है, की शिकायत नहीं की थी। इस प्रकार साक्षी के बयान से यह प्रकट है कि उसने ट्रैक्टर को तेन्दु पुल के आगे पेट्रोल पम्प से 500 मीटर आगे रोका था जिस पर सरकारी गल्ला लदा था। साक्षी

ने कहा कि राबर्टसगंज से कबरी जाने का केवल एक ही रास्ता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कोटेदार उक्त सरकारी गल्ले को चाहे पन्नूगंज मार्ग बेलखुरी होते हुए जाया मधुपुर होते हुए परन्तु उसको उक्त ट्रैक्टर को रोकने का कोई अधिकार नहीं था और उसके सरकारी सत्ते गल्ले को किसी दुकानदार या दुकान पर नहीं पकड़ा है। उपरोक्त कथन स्पष्ट है कि कोटेदार द्वारा सत्ते गल्ले की कोई कालाबाजारी नहीं की गयी है।

34— अभियोजन साक्षी सं0—4 जगदम्बा प्रसाद द्विवेदी है जिनके द्वारा उक्त मुकदमे की जांच/ विवेचना की गयी है और उनके द्वारा दौरान विवेचना जांच की गयी है किसी भी साक्षी ने सरकारी गल्ले की कालाबाजारी के संबंध में कोई बयान नहीं दिया है बल्कि यह कहा है कि उन्हें प्रत्येक माह गल्ला मिलता था। जिरह में कहा है कि ट्रैक्टर चालक ने उसे बताया कि मनोज पाण्डेय तेन्दू नहर पर पीछे से आये और रोक लिये कहे कि उसे बन्द करवायेंगे और फोन कर अधिकारियों को बुला लिये थे। इस प्रकार प्रकट है कि विवेचना द्वारा सफीउल्ला को सरकारी गल्ले की कालाबजारी करने की बात नहीं बताया न किसी दुकानदार को पकड़ा है कि उनके यहां सफीउल्ला द्वारा उक्त गल्ले का विक्रय किया गया है।

35— उपरोक्त विवेचन से से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 27.05. 2014 को गोदाम से गल्ला ट्रैक्टर सं0—यूपी64 जे—9756 पर 41बोरी चावल, 21 बोरी गेहूं व 5 बोरा चीनी लादा था। राबर्ट्सगंज रेलवे क्रासिंग से पन्नूगंज से कबरी जाने का रास्ता खराब होने के कारण वाहन को तेन्दु पुल से नहर के रास्ते कूसी होते हुए कबरी जा रहा था। ग्राम कबरी जाने के लिए कई रास्ता है। वह चाहे जिधर से जाए। मात्र एक सामान्य व्यक्ति द्वारा ट्रैक्टर को रोक कर चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया कि ट्रैक्टर सं0—यूपी64 जे—9756 पर लदे सरकारी गल्ले को किसी दुकानदार के यहां पकड़ा गया उक्त ट्रैक्टर तेन्दु पुल के आगे नहर के पास पकड़ा गया है जो सुनसान जगह है जिसके आस—पास कोई दुकान या मकान स्थित नहीं है। पत्रावली में संलग्न नक्शा नजरी में भी किसी दुकान या मकान का होना प्रदर्शित नहीं किया गया है। साथ ही किसी गल्ले को मात्र रास्ता बदल कर ले जाने के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वो अपने गन्तव्य से इतर कहीं और कालाबाजारी हेतु ले जाया जा रहा है। किसी भी अपराध को कारित किया गया है ऐसा तभी कहा जा सकता है कि जब वह अपराध पूर्णतया घटित हो जाये। इस प्रकरण में यदि यह मान भी लिया जावे कि अभियुक्त कालाबाजारी का अपराध करने हेतु गल्ले से लदे ट्रैक्टर को दूसरी जगह ले जाया जा रहा था तो भी जब तक माल/ गल्ला उस स्थान तक न पहुंच जाय तब तक अपराध का प्रयत्न भी नहीं माना जायेगा, बल्कि तैयारी कहा जायेगा जो कि अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन लगाये गये आरोपों को युक्ति—युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

36— माननीय उच्च न्यायालय प्रतिपादित विधिव्यवस्था गणेश प्रसाद गुप्ता बनाम बिहार राज्य, 2002 (1) ईस्ट क्रि०सि० 49(51): 2002 (1) क्राइम 438/ 2002 (1) बी०एल०जे०152 (पटना) में यह निर्धारित किया है कि ''जहाँ नेपाल को संक्रामन की अवस्था में मिट्टी का तेल अभिग्रहीत किया गया जिसे अभिकथित रूप से काला बाजारी हेतु ले जाया जा रहा था तथा किसी नियंत्रण आदेश का उल्लंघन दर्शित नहीं किया गया तथा वाहन के चालक एवं खलासी की न्यायालय में परीक्षा नहीं को गयी। यह अवधारित किया गया कि अभियोजन अपने मामले को साबित करने में असफल रहा था''।

37— पूर्व में अभियुक्त द्वारा कालाबाजारी किये जाने की शिकायत किसी अन्य व्यक्ति से नहीं की गयी है और न ही कालाबाजारी किये जाने के तथ्य को साक्षियों ने साबित किया है। इसके अतिरिक्त सरकार अथवा विभाग द्वारा खाद्यान्न ले जाने के लिए कोई मार्ग निर्धारित नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रश्नगत ट्रैक्टर निर्धारित मार्ग से इतर जा रहा था।

38— उपरोक्त की गयी विवेचन तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियोजन, अभियुक्त के

विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है, निष्कर्षतः अभियुक्त सफीउल्ला लगाये गये आरोप अं0धारा–3/ 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

**आदेश**

अभियुक्त सफीउल्ला को मु0नं0–2788/ 2024 (पुराना मु0सं0–110/ 2015,) थाना राबर्टसगंज,, जनपद सोनभद्र में आरोप अं0धारा–3/ 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर हैं, उनके जमानतनामे व बंध पत्र निरस्त कर जमानतियों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा धारा–437ए दं.प्र.सं. के अनुपालन में मु. 20,000/– रू. का स्वबंध पत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करें। यह प्रतिभू एवं व्यक्तिगत बंध पत्र छः माह के लिए वैध रहेंगे तथा छः माह व्यतीत हो जाने के उपरांत स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे।

दिनांकः 14.03.2024

**(अचल प्रताप सिंह)**
मुख्य न्यायिक मजिस्टेंट,
सोनभद्र।

उपरोक्त निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः 14.03.2024

**(अचल प्रताप सिंह)**
मुख्य न्यायिक मजिस्टेंट,
सोनभद्र।

Digitally signed by Achal Pratap Singh
Date: 2024.03.14 16:43:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Courtsbr